कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुस्लिमों के लिये ओबीसी कोटा रद्द किया

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने **ओबीसी श्रेणी** के अंतर्गत मुसलमानों सहित कई समुदायों को आरक्षण प्रदान करने वाले पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।

- वर्ष 2013 में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त) (रिक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 को अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत **77 समुदायों (75 मुस्लिम समुदायों सहित)** को अधिनियम की **अनुसूची I** में शामिल किया गया था।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पाया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य सरकार द्वारा आरक्षण प्रदान करने के लिये **धर्म "एकमात्र" आधार रहा है,** जो **संविधान के अनुच्छेद 16 व पूर्व में न्यायालय द्वारा दिये गए आदेशों के तहत निषिद्ध है।**
- न्यायालय ने विशेष रूप से **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)** के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें **सर्वोच्च न्यायालय** ने स्थापित किया था कि आरक्षण के प्रयोजनों के लिये **ओबीसी श्रेणियों की पहचान और पदनाम केवल धार्मिक संबद्धता के आधार पर नहीं हो सकता।**
- **अन्य राज्यों में भी समान धर्म-आधारित आरक्षण:**
    - **केरल:** अपने 30% ओबीसी कोटे के अंतर्गत 8% मुस्लिम कोटा प्रदान करता है।
    - **तमिलनाडु और बिहार:** अपने ओबीसी कोटे में मुस्लिम जाति समूहों को भी शामिल करते हैं।
    - **कर्नाटक:** 32% ओबीसी कोटे के अंतर्गत मुसलमानों के लिये 4% उप-कोटा था।
    - **आंध्र प्रदेश:** पिछड़े मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण कोटा प्रदान करता है।

और पढ़ें: आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिये आरक्षण का मुद्दा

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/calcutta-hc-quashed-obc-quota-for-muslims